

एसईसी-1/187(2)/2026/2758

दिनांक: 18 मार्च, 2026

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुमनि पर बोर्ड की टिप्पणियों के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

यह एनएसई के 27 फरवरी, 2026 के पत्र और बीएसई के ईमेल के संदर्भ में है, जिसमें आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") द्वारा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के बारे में बताया गया है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") में निर्धारित है।

स्टॉक एक्सचेंजों के निर्देशानुसार, उपरोक्त अनुपालन न करने का मामला कंपनी के निदेशक मंडल की 16 मार्च, 2026 को हुई बैठक में रखा गया, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की संरचना और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुमनि के संबंध में अनुपालन न करने की स्थिति पर ध्यान दिया।

इस संबंध में, बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से नियमित रूप से संपर्क किया जाए, ताकि आरईसी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी पर लगाए गए जुमनि को माफ करने और आगे कोई जुमना/दंड न लगाने का अनुरोध किया जाए, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है और कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, हम निवेदन करना चाहेंगे कि, सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से निहित है और निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुमनि को माफ किया जाए।

आपका विश्वासी,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न: एनएसई का पत्र और बीएसई का ईमेल दिनांक 27 फरवरी, 2026

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

अनुवाद जारी है।